lished Welfare Funds to address concerns in areas like health, housing, social security, educational and recreational facilities etc.

To improve the working conditions of construction workers and to provide minimum social security for them, the following two laws concerning construction workers have recently been enacted:
(i) The Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

(ii) The Building and other Construction Workers (Welfare Cess) Act, 1996.

### गुजरात में बेरोजगार व्यक्ति

1876. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला:**
**श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं योजना के अंत तक गुजरात में जिलेवार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के संबंध में उपलब्धि क्या रही है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए कोई नीति अपनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार):** (क) सातवीं योजना के अंत में बेरोजगारी के आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1987-88 एवं 1993-94 के दौरान गुजरात में बेरोजगारी की दर क्रमशः 2.57% तथा 1.89% थी। जिला-वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के अनुसार गुजरात में वर्ष 1987-88 के दौरान जो रोजगार 14.7 मिलियन था वर्ष 1993-94 के दौरान बढ़कर 16.8 मिलियन हो गया।

(ग) और (घ) नौवीं योजना का परिकल्पित दृष्टिकोण पर्याप्त उत्पादक रोजगार के सृजन तथा गरीबी के उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषीय तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना है। बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दर की प्रकृति वाले क्षेत्रों में श्रम गहन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा तकनीकों पर सकेन्द्रण से स्वतः ही विकासात्मक प्रक्रिया में उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा। नौवीं योजना में राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना का कार्यान्वयन भी किया जाएगा।

### असंगठित श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति

1787. **श्री राम जेठमलानी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में नियमित एवं संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की तुलना में असंगठित और अनियमित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने असंगठित और अनियमित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित और नियमित क्षेत्र के समान वेतन व कार्य संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार):** (क) से (घ) संगठित क्षेत्र में कर्मकारों की आर्थिक और सामाजिक दशा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की अपेक्षा सामान्यतया बेहतर है। अधिकांश श्रम कानून संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों पर लागू होते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के हितों की सुरक्षा के हिसाब से सामाजिक विधान का एक महत्वपूर्ण खंड है। इसके अतिरिक्त असंगठित कर्मकारों की कतिपय श्रेणियों के लिए सरकार ने स्वास्थ्य, मकान, सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं आदि जैसे क्षेत्रों में आने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए कल्याण निधियों की स्थापना की है।

निर्माण कर्मकारों की कार्य दशाओं को सुधारने और उन्हें न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए निर्माण कर्मकारों से संबंधित निम्नलिखित दो कानून हाल ही में अधिनियमित किए गए हैं।

(i) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996

(ii) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (कल्याण उपकर) अधिनियम 1996

**मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से स्थापित किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र**

1788. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सहायता से मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) इन में किन-किन व्यवसायों के प्रशिक्षण दिए जाने की स्वीकृति दी गई है और इन केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) इन व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना में क्या-क्या कठिनाइयां पेश आ रही हैं; और इनकी स्थापना में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) 1997-98 के दौरान इन प्रशिक्षण को वास्तविक रूप से स्थापित करके उसमें प्रशिक्षण प्रारम्भ कराने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सहायता द्वारा किसी व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**Application on ONGC for exemption from employees pension scheme**

1789. SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether ONGC has submitted an application to E.P.F. authorities for exemption from the purview of Employees Pension Scheme, 1995 under clause 39 of the scheme;

(b) if so, what was the date of application and the reasons given therein;

(c) whether pending of ONGC's application for exemption the E.P.F. authorities gives automatic right to ONGC not to implement Act No. 25 of 1996, till the date of final reply from E.P.F. authorities; and

(d) whether ONGC can deduct Family Pension Fund (F.P.F.) amount from employees w.e.f. 16th December, 1995 and onwards as per Act No. 25 of 1996 and deposit the same to R.P.F.C.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) An apllication for exemption was submitted to the R.P.F.C., U.P. on 21.04.1997 on the ground that their self-contributory post retirement death Schemes is better than the Employees' Pension Scheme, 1995.

(c) Under paragraph 39 of the Employees' Pension Scheme, 1995 pending disposal of application for exemption the employers' share of contribution is not required to be remitted to the Pension Fund.

(d) The Family Pension Scheme, 1971 has ceased to operate w.e.f. 16.11.1995. As such the question of deduction on account of Family Pension Fund and deposit of the same with the RPFC does not arise.

**Payment of pensions dues to workmen of Indian Oil Corporation**

1790. SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR: Will the Minister of LABOUR be pleased refer to answer to Unstarred Question 3537 given in the Rajya Sabha on the 8th May, 1997 and state:

(a) whether the applications submitted by the workmen of Indian Oil Corporation Ltd. (Marketing Division), Eastern Branch for pension under Act No. 25 of 1996 are justified;

(b) if so, how much time E.P.F. organisation will take to decide the fate of the applications for their pension dues;

(c) whether the said workmen have received one line confirmation to their justified demand of E.P.F. organisation, till date; and

(d) if so, by which date eligible applicants will get their pension dues?